न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 267/2022 (2022/732)

1. सुखदेव पुत्र उंकार
2. श्योजी पुत्र उंकार
3. माधु पुत्र उंकार
4. लाडा पत्नि स्व मोहन
5. दिनेश पुत्र स्व मोहन
6. श्यामसुन्दर पुत्र स्व मोहन
7. गेन्दीलाल पुत्र स्व मोहन जरिये वली संरक्षक माता लाडा देवी
   समस्त जाति मीणा निवासी गणेशपुरा (मजरा पारा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

———वादीगण

♠बनाम♠

1. अर्जुन पुत्र कल्याण
2. राकिशन पुत्र बीरमा
3. जमनी पुत्री बीरमा
   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण कृष्णगोपाल कालेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
4. तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
5. उपपंजीयक केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
6. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा केकड़ी

—— प्रतिवादी

उपस्थितः—

1. श्री रामसिंह राठौड—वादी अधिवक्ता
2. पेरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकड़ी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,188,209राज. काश्तकारी अधिनियमव 136भू—राजस्व अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 06/02/23

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम वधारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व स्व. बीरमा उर्फ बीरदा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1998 को खसरा नम्बर 189 रकबा 3 बीघा क्रय किया था, तब से उक्त आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त आधिपत्य में चली आ रही है। वादवर्णित आराजीयात का जमाबन्दी संवत 2042 से 2045 में नामान्तकरण संख्या 189 दिनांक 28.08.1998 से वादीगण का नामान्तकरण खुल चुका है। राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी आदेश के जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में खसरा नम्बर 640 रकबा 0.64 हैक्टर में वादीगण का नाम हटाकर पुनः प्रतिवादीगण संख्या 1 व स्व. बीरमा उर्फ बीरदा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया, जो कतई गलत, अवैध व शुन्य है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराने बाबत कई बार निवेदन किया, परन्तु उन्होने वादीगण की सुनवाई नही की जिसके कारण यह वादपत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने, उक्त वादवर्णित आराजीयात को अन्य व्यक्ति को

Scanned with OKEN Scanner

बैचान, अन्तरण, हस्तान्तरण नही करने तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वादवर्णित आराजीयात से संबंधित कोई भी विक्रय, बैचान, अन्तरण, हस्तान्तरण का दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसे पंजीबद्ध नही करने, रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया गया एवं वादवर्णित आराजीयात का जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में किये गये गलत अंकन को दुरूस्त कर पुनः वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने व जवाब दावा प्रस्तुत नही किये जाने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी तहसीलदार केकड़ी द्वारा पत्रावली में जवाब दावा की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार वादवर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है। वादीगण की ओर से श्री सुखदेव पुत्र उंकार मीणा द्वारा शपथ पत्र व फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वरवक्त बहस वादीगण के अधिवक्ता ने बताया कि वादवर्णित आराजीयात का सुखदेव, मोहन, श्योजी, माधु पिता उंकार मीणा द्वारा अर्जुन पुत्र कल्याण, बिरमा पुत्र गोकल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 18.05.1998 को क्रय किया था जिसके संबंध में जमाबन्दी संवत 2042 से 2045 में जरिये नामान्तकरण से वादीगण के नाम का अंकन स्वीकार किया गया एवं जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी आदेश के वादवर्णित आराजीयात को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त कर वादीगण को वादवर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया है।

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादी का वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत 2073—2076 के खसरा नम्बर 640 रकबा 0.64 हैक्ट पर वादीगण के नाम का अंकन स्वीकार कर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner